

बिहार सरकार
कृषि विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-1/ए0जी0(प्र0)-01/2015.....वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0-4685 वि0(2) दिनांक-25.06.2003 संकल्प सं0-7566 दिनांक-14.07.2010, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-929 दिनांक-30.03.2011 तथा अन्य संगत परिपत्रों के आलोक में बिहार कृषि सेवा कोटि-01 (शष्य) के निम्नांकित पदाधिकारियों को "सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003" के प्रावधानों के अन्तर्गत उनके नाम के सामने अंकित वेतनमान में अंकित तिथि से प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	वरीयता क्रमांक (2017/ 2006/1997)	पदाधिकारी का नाम एवं पद नाम	सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि	देय ए0सी0पी0 (नियुक्ति की तिथि से 10 वर्षों की नियमित सेवा के पुरा करने की तिथि से)		
				प्रथम ए0सी0पी0	अनुमान्यता की तिथि	वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7
1	40/43/915	श्री राम प्रबोध ठाकुर उप निदेशक (शष्य) सामान्य तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर। संप्रति संयुक्त निदेशक(शष्य) सहरसा प्रमंडल, सहरसा।	15.02.1988	प्रथम ए०सी०पी०	15.02.2000	10,000-15,200
2	113/126/10 52	श्री सुधीर कुमार राय परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्णियाँ।	19.11.1990	प्रथम ए०सी०पी०	19.11.2002	10,000-15,200
3	135/153/10 87	श्री विजय प्रकाश जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर संप्रति उ0नि0(कू0अभि0) भूमि संरक्षण, गया।	08.12.1990	प्रथम ए०सी०पी०	08.12.2002	10,000-15,200
4	163/..... /1136	श्री लाल बहादुर सहायक निदेशक (शष्य) योजना, भू०सं० बिहार, पटना।	03.12.1990	प्रथम ए०सी०पी०	03.12.2002	10,000-15,200

1. ए0सी0पी0 योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण प्रदान किये जाने पर पदनाम वर्गीकरण या उच्चतर हैसियत में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2. ए0सी0पी0 योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण पदाधिकारी विशेष के लिये पूर्णतः व्यक्तिगत होगा और उसकी वरीयता की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वरीय पदाधिकारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण नहीं होगा कि उस वेतनमान में कनीय पदाधिकारी ने ए0सी0पी0 योजना के तहत उच्चतर वेतन प्राप्त कर लिया है।

3. प्रथम ए0सी0पी0 योजना के तहत वेतन नियतीकरण/निर्धारण संगत अधिसूचना/संकल्प/परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

4. भविष्य में संबंधित पदाधिकारियों के संवर्ग के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके वेतनमान से संबंधित यदि कोई निर्णय संसूचित किये जाते हैं तो वैसी स्थिति में यह वित्तीय उन्नयन तदनुसार प्रभावित होंगे और वित्तीय उन्नयन को संशोधित किया जा सकेगा।

5. यदि सक्षम प्राधिकार के द्वारा इस उन्नयन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति उठायी जाएगी तो फलस्वरूप अधिक/कम भुगतान की गयी राशि को तदनुसार वसूली/सामंजन कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(दिनेश कुमार)

उप सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/ए0जी0 (प्रो0)-01/2015

/कृ0, पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/ए0जी0 (प्रो0)-01/2015

/कृ0, पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार, पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/ए0जी0 (प्रो0)-01/2015

/कृ0, पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/ए0जी0 (प्रो0)-01/2015

/कृ0, पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:-कृषि निदेशक, बिहार, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक(प्रशासन)-सह-अपर सचिव/उप सचिव (प्रभारी स्थापना), कृषि विभाग, बिहार, पटना/अपर निदेशक (शष्य), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/अपर निदेशक (कृषि अभि0), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/अपर निदेशक (कृषि अभि0), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण/पी0पी0एम0/उद्यान, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक, माप-तौल, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य), पाट, बिहार, पूर्णियाँ/संयुक्त निदेशक (शष्य), शिक्षा, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य), प्रसार, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (कृ0अभि0), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/सभी उप निदेशक, कृषि विभाग/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-2 तथा कार्यवाहक सहायक, कृषि विभाग, बिहार, पटना को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

